

नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है: NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शिकायत समाधान अधिकारी का पता: Address of Grievance Redressal Officer:	बीमा लोकपाल का पताः Address of Insurance Ombudsman:
	/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पजीकरण संख्या : 512 IRDAI Regn. No.: 512

12

27446 Children's Plan Policy Open Size - 15" (w) X 12" (h) Close Size- 7.5" (w) X 12" (h)



# नया चिल्ड्रन्स मनी बैक प्लान **NEW CHILDREN'S MONEY BACK PLAN**



(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

## भाग – अ (जारी...)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में ''निगम'' कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और पहले प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अतः निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि अनुसूची में निर्धारित परवर्ती प्रीमियमों की विधिवत प्राप्ति होने पर और उसके प्रतिफल स्वरूप बीमा राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालय में, जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शर्तों के अनुसार हितलाभ देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला/वाले उक्त व्यक्ति उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।

और एतदुद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह पॉलिसी इसके पीछे की तरफ छपी परिभाषाओं, हितलामों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the policy document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

(Service Tax is charged extra as applicable from time to time) Date of Vesting: Date of Vesting: पियववता की तिथि: प्रिमवम कुमतान का प्राध्यम: Mode of payment of premium: Age of the Life Assured: प्रस्तावक की उम्र: Age of Proposer: Age of Maturity: Age of Proposer: Age of Maturity as a Maturity as a Maturity and Maturity as a Maturity as Age of Proposer: Age of Maturity as Age of the Life Assured:  Age of Proposer:  Age of Propose	मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:			तालिका / SCHEDI	JLE	शाखा कार्यालय/BRANCH	शाखा कार्यालय/BRANCH OFFICE:		
मांक चुना गया राइडर यूआईएन रायडर के जोखिम के आरंभ होने की तिथि प्रीमियम के किस्त Due date of payment of last premium for Rider last payment of last	Policy No.:  पॉलिसी की आरंभ तिथि: Date of Commencement of Policy:  जोखिम के आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Risk:  प्लान तथा पॉलिसी की अवधि: Plan & Policy Term:  निहित होने की तिथि: Date of Vesting:  परिपक्वता की तिथि: Date of Maturity:		Basic Sum Assured (₹): मूल प्लान के लिए प्रीमियम की किस्त (₹): Instalment Premium for Basic Plan (₹): कुल प्रीमियम की किस्त (₹): Total Instalment Premium (₹): (समय-समय पर लागू अनुसार सर्विस टैक्स अतिरिक्त लिया जाएगा) (Service Tax is charged extra as applicable from time to time) प्रीमियम भुगतान की देय तिथि: Due date of premium:		अतिम प्रीमियम की देय तिथि: Due Date of Payment of Last premium for Basic Plan: बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of Birth of the Life Assured: प्रस्तावक की जन्म तिथि: Date of Birth of the Proposer: बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured: प्रस्तावक की उम्र: Age of Proposer: क्या उम्र स्वीकृत है?				
of Risk for Rider  1. ध्यान दें: माग सी (लाभ) की स्थिति क्र. 5 के तहत उल्लेखित राइडर की स्थिति सिर्फ तभी लागू होगी जब ऊपर उल्लेखित राइडर का चुनाव किया गया है । Note: Conditions of the rider mentioned under condition No.5 of Part C (Benefits) shall only apply if the above mentioned rider has been opted for.  बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम: Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:  यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: If nominee is a minor, name of the Appointee:  प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal: हितलाम उदाहरण संदर्भ सं: Benefit Illustration Reference No.:  प्रस्तावक का नाम और पता:	क्रमांक Sr No	<u> </u>		रायडर के जोखिम के आरंभ होने की तिथि	राइडर के लिए अंतिम प्रीमियम	प्रीमियम की किस्त	,		
ध्यान दें: माग सी (लाभ) की स्थिति क्र. 5 के तहत उल्लेखित राइडर की स्थिति सिर्फ़ तभी लागू होगी जब ऊपर उल्लेखित राइडर का चुनाव किया गया है I Note: Conditions of the rider mentioned under condition No.5 of Part C (Benefits) shall only apply if the above mentioned rider has been opted for.  बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम: Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:  प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal: हितलाभ उदाहरण संदर्भ सं.: Benefit Illustration Reference No.:  प्रस्तावक का नाम और पता:	SI. INO.	nider Opted	OIN		Installient Flemium for No		Date of Fider termination		
Note: Conditions of the rider mentioned under condition No.5 of Part C (Benefits) shall only apply if the above mentioned rider has been opted for.  बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम: Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:  यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: If nominee is a minor, name of the Appointee:  प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal: हिल्लाम उदाहरण संदर्भ सं.: Benefit Illustration Reference No.:	1.								
Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:  यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम:  If nominee is a minor, name of the Appointee:  प्रस्ताव की तिथि:  Date of Proposal:  हितलाभ उदाहरण संदर्भ सं.:  Benefit Illustration Reference No.:									
	Name यदि न	e of Nominee under Sec गामित अवयस्क है, तो नियु	ction 39 of the Insurance Ac पुक्त व्यक्ति का नाम:		Proposal प्रस्ताव की Date of P हितलाभ उ	No.: तिथि: oposal : दाहरण संदर्भ सं.:			
			ser:						

लामार्थी, हितलाभ जिसे देय हैं Beneficiary to whom Benefits payable	बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तावक (निहित होने की तिथि से पूर्व) या बीमित व्यक्ति या उसके अभ्यर्पिती को या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामितों को या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघशासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा।  The proposer (before the vesting date) or the Life Assured or his Assignee under section 38 of Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.
प्रीमियम किस अवधि तक देय	अंतिम प्रीमियम के 'मुगतान की देय तिथि या बीमित व्यक्ति के उससे पूर्व मृत्यु होने तक
Period during which premiums payable	Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the life assured.
प्रीमियम देय होने की तिथि	निविधारित देय तिथि को
Date when premium payable	On the stipulated due date in

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए। Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म न / Form No :

कृते मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक n. Chief/ Sr./Branch Manager

एजेन्सी कोड	एजेन्सी का नाम	एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर
Agency Code	Agency Name	Agent's Mobile Number/Landline Number
		,

### भाग-ब : परिभाषाए

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नअनुसार हैं:

- 1. उम्र का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित व्यक्ति की पिछले जन्मदिन पर
- 2. नियुक्त-व्यक्ति (एपॉइन्टी) वह व्यक्ति है जिसके पास पॉलिसी के अंतर्गत दावे के भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिंग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर उस राशि/हितलाभ को सरक्षित रखा जाता है।
- 3. वार्षिकीकृत प्रीमियम एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है।
- 4. समानुदेशी वह व्यक्ति है जिसे समानुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा
- हितलाभ हस्तांतरित किए जाते हैं। समनुदेशन बीमा अधिनियम 1938 की थारा 38 के अंतर्गत ''समनुदेशिती'' के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलाभों के स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया है।
- 6. मूल प्लान पॉलिसी का वह भाग है जिसमें मूल हितलाभ का उल्लेख किया गया (इस पॉलिसी दस्तावेज में राइडर के अंतर्गत संरक्षित हितलाभों को छोड़कर, अगर उन्हें चना गया हो अन्य हितलाभ)
- 7. मूल बीमा राशि एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में वह निश्चित राशि है, जो कि र्गिरत अवधि के अंत में विद्यमानता हितलाभ के रूप में देय है तथा परिपक्वता की तिथि को परिपक्वता हितलाभ के रूप में देय है।
- 8. लामार्थी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से हैं जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र हैं। लाभार्थी बीमित व्यक्ति या उसका समानुदेशी या नामित व्यक्ति का प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
- 9. निगम का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
- 10. **पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि** का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है।
- 11. जोखिम के आरंभ होने की तिथि वह तिथि है जब निगम बीमा हेतु पॉलिसी की तालिका के अनुसार जोखिम (संरक्षण) को स्वीकार कर लेता है।
- 12. निहित होने की तिथि वह तिथि जब पॉलिसी के हितलाभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति
- 13. परिपक्वता की तिथि का अर्थ यह निश्चित तिथि है जब हितलाभ पूर्णतः या आकस्मिक रूप से देय होते हैं।
- 14. मृत्यु पर मिलने वाली रकम का अर्थ करार के आरंभ के समय सहमत हितलाभ से है.
- ो कि इस पॉलिसी दस्तावेज के ''भाग स'' में विनिर्धारित मृत्यु की दशा में देय है। **15. डिस्चार्ज फॉर्म** पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा क्रमशः विद्यमानता/परिपक्वता/मृत्यु पर
- पाप्त होने वाले हितलाभ /सरेन्डर का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है। 16. देय तिथि का अर्थ वह निर्धारित तिथि है जब पॉलिसी प्रीमियम देय तथा
- . ॉलिसीधारक द्वारा भुगतान योग्य हो**।**
- 17. पृष्ठांकन से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों वा आशोधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है। 18. अतिरिक्त प्रीमियम का अर्थ ऐसे किसी जोखिम के लिए लिया गया प्रभार है जो कि
- न्युनतम करार प्रीमियम में शामिल नहीं है। 19. अंतिम अंतिरिक्त बोनस, जिसे टर्मिनल (समाप्ति) बोनस भी कहा जाता है, पॉलिसी
- की समाप्ति पर, हितलाभों के साथ देय अतिरिक्त राशि है, अगर लागू हो। 20. पूर्व समाप्ति बकाया ऋण या लोन पर ब्याज को देय तिथि तक न चुकाने पर पॉलिसी
- की पूर्व-समाप्ति। 21. मुफ्त लुक अवधि पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि इस पॉलिसी
- के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए हैं, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है। 22. रियायती अवधि यह प्रीमियम की देय तिथि से बीमाकर्ता द्वारा दिया गया भुगतान हेतु
- वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुर्माने/विलम्ब शुक्क के भुगतान किया जा सकता है तथा पॉलिसी का जोखिम संरक्षण के साथ प्रभावी माना जाता है तथा पॉलिसी की अवधि में कोई व्यवधान नहीं आता है। 23. गारंटीड सरेन्डर मल्य पॉलिसी के सरेन्डर किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा किए
- जाने वाले सरेन्डर मूल्य की न्यूनतम गारंटीड राशि है।
- 24. पूर्णत: प्रभावी का अर्थ यह है कि पॉलिसी के अंतर्गत सभी देय प्रीमियम्स का देय तिथि से पहले या रियायती अवधि में भुगतान कर दिया गया है।
- 25. आईआरडीएआई का अर्थ है इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले इसे इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेन्ट अथॉरिटी (आईआरडीए) कहा
- 26. कालातीत (लैप्स) पॉलिसी की वह दशा है जब रियायती अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।
- 27. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा सरक्षण लिया गया है। 28. ऋण निगम द्वारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय सरेन्डर मूल्य पर प्रदान की गयी
- ब्याजयुक्त राशि है। 29. परिपक्वता हितलाभ का अर्थ वह हितलाभ है जो कि परिपक्वता अर्थात इस पॉलिसी दस्तावेज के ''भाग स'' पर उल्लिखित पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय है, अगर
- बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहता है। 30. महत्त्वपूर्ण जानकारी वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित व्यक्ति को पहले से ज्ञात थी, जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बीमालेखन पर
- प्रभाव होता है।
- 31. अवयस्क या नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।
- नामांकन किसी व्यक्ति को 'नामित' करने के लिए प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पृष्ठांकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। नामांकन, समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनयम 1938 की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।
- 33. नामित वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की पॉलिसी की परिपक्वता से पूर्व मृत्यु की दशा में पॉलिसी की राशि को मान्य रूप से उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने का आ रखता है।
- 34. प्रतिभागी का अर्थ है निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी मुनाफे में भागीदारी की पात्र है।
- **35. चुकता** पॉलिसी की वह स्थिति है, कम से कम 3 पूरे वर्षों हेतु प्रीमियम्स का भुगतान नदा किया जाता है और परवर्ती प्रीमियम्स का भुगतान रियायती अवधि के दौरान नहीं
- 36. पॉलिसी वर्षगांठ का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष तथा उसके बाद परिपक्वता तक एक वर्ष बाद आनेवाली प्रत्येक तिथि से है।

### PART - B: DEFINITIONS

- ords used in the policy documents are as under:
- 1. Age is the age last birthday of the Life Assured at the time of the mencement of the policy.
- Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
- 3. Annualized Premium is the total amount of premium payable in a policy year.
- 4. Assignee is the person to whom the rights and benefits are transferred by
- 5. Assignment is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with provision of Section 38 of Insurance Act, 1938 as amended from time to time
- 6. Basic Plan is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referred to in this policy document excluding benefits covered under rider, if opted for).
- 7. Basic Sum Assured is the fixed amount specified as a percentage of which the survival benefit is payable at the end of the specified duration and maturity benefit is payable at the date of maturity.
- 8. Beneficiary means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be proposer or Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
- 9. Corporation means the Life Insurance Corporation of India established
- 10. Date of commencement of policy is the start date of this Policy.
- 11. Date of commencement of risk is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the schedule of the policy.
- 12. Date of vesting is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits
- 13. Date of Maturity means a fixed date on which benefit may become payable
- 14. Death Benefit means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death as specified in Part C of this Policy document.
- 15. Discharge form is the form to be filled by policyholder/claimant to claim the survival / maturity /death benefit/surrender under the policy.
- 16. Due Date means a fixed date on which the policy premium is due and
- payable by the policyholder. 17. Endorsement means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
- 18. Extra Premium means a charge for any risk not provided for in the minimum contract premium.
- 19. Final Additional Bonus, also called as Terminal Bonus, is an additional amount payable along with the benefits on termination of the policy. if
- 20. Foreclosure is an action of closing the policy due to default in payment of outstanding loan or loan interest on due date
- 21. Free Look Period is the period of 15 days from the date of receipt of the policy document to review the terms or conditions of this policy and where the policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
- 22. Grace period is the time granted by the insurer from the due date for the payment of premium, without any penalty/ late fee, during which time the policy is considered to be inforce with the risk cover without any interruption as per the terms of the policy.
- 23. Guaranteed Surrender Value is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable on surrender of the policy.
- 24. In full force means all due premiums have been paid on or before the due date or within the grace period.
- 25. IRDAI means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
- 26. Lapse is the status of the Policy when a due premium is not paid within the
- 27. Life Assured is the person on whose life the insurance cover has been taken.
- 28. Loan is the interest bearing amount granted by the Corporation against the der value payable to the policyholder.
- 29. Maturity Benefit means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in Part C of this Policy Document, on life assured surviving upto the Date of Maturity.
- 30. Material information is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal /Policy submitted.
- 31. Minor is a person who has not completed 18 years of age.
- 32. Nomination is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provision of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- 33. Nominee is the person who has right to give a valid discharge to the policy monies in case of the death of the Life Assured.
- 34. Participating means the Policy is eligible for share of profit depending upon 35. Paid - Up is the status of the Policy, if the premiums are paid for at least 3 full
- years and subsequent premiums are not paid within the grace period.
- 36. Policy Anniversary means one year from the date of commencement of the Policy and the same date falling one year thereafter, till the date of maturity.
- 37. Policy/Policy Document means this document along with endorsements, if issued by the Corporation which is a legal contract between the

कुल अदा किए गए प्रीमियमों पर लागू गारंटीड सरेन्डर मूल्य घटक (प्रतिशत रूप में)										
पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि									
	19	20	21	22	23	24	25			
9	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%			
10	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%			
11	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%			
12	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%			
13	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%			
14	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%			
15	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%			
16	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%			
17	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%			
18	80.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%			
19	80.00%	80.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%			
20		80.00%	80.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%			
21			80.00%	80.00%	78.00%	76.25%	74.71%			
22				80.00%	80.00%	78.13%	76.47%			
23					80.00%	80.00%	78.24%			
24						80.00%	80.00%			
25							80.00%			

### परिशिष्ट - 6

पॉलिसी वर्ष पॉलिसी अवधि										
	13	14	15	16	17	18				
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
3	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%				
4	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%				
5	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%				
6	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%				
7	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%				
8	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%				
9	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%				
10	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%				
11	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%				
12	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%				
13	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%				
14		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%				
15			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%				
16				35.00%	30.00%	27.06%				
17					35.00%	30.00%				
18						35.00%				
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

निहित बोनसों पर लागू सरेन्डर मूल्य घटक (प्रतिशत में)										
पॉलिसी वर्ष		पॉलिसी अवधि								
	19	20	21	22	23	24	25			
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
3	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%			
4	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%			
5	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%			
6	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%			
7	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%			
8	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%			
9	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%			
10	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%			
11	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%			
12	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%			
13	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%			
14	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%			
15	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%			
16	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%			
17	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%			
18	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%			
19	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%			
20		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%			
21			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%			
22				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%			
23					35.00%	30.00%	27.06%			
24						35.00%	30.00%			
25							35.00%			

Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premium paid (in percentage)											
Policy Yr.		Policy Term									
	19	20	21	22	23	24	25				
9	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%				
10	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%				
11	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%				
12	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%				
13	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%				
14	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%				
15	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%				
16	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%				
17	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%				
18	80.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%				
19	80.00%	80.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%				
20		80.00%	80.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%				
21			80.00%	80.00%	78.00%	76.25%	74.71%				
22				80.00%	80.00%	78.13%	76.47%				
23					80.00%	80.00%	78.24%				
24						80.00%	80.00%				
25							80.00%				

Surrender Value factors applicable to vested bonuses (in percentage)									
Policy Yr.			Policy Tern	า					
	13	14	15	16	17	18			
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
3	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%			
4	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%			
5	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%			
6	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%			
7	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%			
8	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%			
9	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%			
10	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%			
11	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%			
12	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%			
13	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%			
14		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%			
15			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%			
16				35.00%	30.00%	27.06%			
17					35.00%	30.00%			
18						35.00%			
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

Surrender Value factors applicable to vested bonuses (in percentage)										
	er value	ractors ap			bonuses	s (in perc	entage)			
Policy Yr.				/ Term						
	19	20	21	22	23	24	25			
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
3	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%			
4	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%			
5	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%			
6	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%			
7	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%			
8	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%			
9	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%			
10	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%			
11	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%			
12	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%			
13	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%			
14	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%			
15	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%			
16	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%			
17	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%			
18	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%			
19	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%			
20		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%			
21			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%			
22				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%			
23					35.00%	30.00%	27.06%			
24						35.00%	30.00%			
25							35.00%			

पाराशष्ट – 4	0 \ 0		
बिलबित विद्यमानता ला	भ राशि के लिए लगाया ज	नि वाला घटक	
n	घटक	n	घटक
1	1.00450	43	1.19350
2	1.00900	44	1.19800
3	1.01350	45	1.20250
4	1.01800	46	1.20700
5	1.02250	47	1.21150
6	1.02700	48	1.21600
7	1.03150	49	1.22050
8	1.03600	50	1.22500
9	1.04050	51	1.22950
10	1.04500	52	1.23400
11	1.04950	53	1.23850
12	1.05400	54	1.24300
13	1.05850	55	1.24750
14	1.06300	56	1.25200
15	1.06750	57	1.25650
16	1.07200	58	1.26100
17	1.07650	59	1.26550
18	1.08100	60	1.27000
19	1.08550	61	1.27450
20	1.09000	62	1.27900
21	1.09450	63	1.28350
22	1.09900	64	1.28800
23	1.10350	65	1.29250
24	1.10800	66	1.29700
25	1.11250	67	1.30150
26	1.11700	68	1.30600
27	1.12150	69	1.31050
28	1.12600	70	1.31500
29	1.13050	71	1.31950
30	1.13500	72	1.32400
31	1.13950	73	1.32850
32	1.14400	74	1.33300
33	1.14850	75	1.33750
34	1.15300	76	1.34200
35	1.15750	77	1.34650
36	1.16200	78	1.35100
37	1.16650	79	1.35550
38	1.17100	80	1.36000
39	1.17550	81	1.36450
40	1.18000	82	1.36900

जहां n = विद्यमानता हितलाभ की देय तिथि से विद्यमानता हितलाभ की वास्तविक भुगतान तिथि पर परिपक्वता की तिथि से पहले पूर्ण महीनों की संख्या है।

1.18450

1.18900

83 84 1.37350

1.37800

## परिशिष्ट - 5

परिशिष्ट - 4

कुल अदा किए गए प्रीमियमों पर लागू गारंटीड सरेन्डर मूल्य घटक (प्रतिशत रूप में)										
पॉलिसी वर्ष			पॉलि	सी अवधि						
	13	14	15	16	17	18				
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%				
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%				
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%				
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%				
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%				
8	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%				
9	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%				
10	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%				
11	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%				
12	80.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%				
13	80.00%	80.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%				
14		80.00%	80.00%	76.25%	73.33%	71.00%				
15			80.00%	80.00%	76.67%	74.00%				
16				80.00%	80.00%	77.00%				
17					80.00%	80.00%				
18						80.00%				
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

कुल अदा किए गए प्रीमियमों पर लागू गारंटीड सरेन्डर मूल्य घटक (प्रतिशत रूप में)							
पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि						
	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%

# Annexure - 4 Factor to be applied to deferred Survival Benefit Amount

ctor to b	oe applied to d	eferred Survival Benefit	Amount	
		Factor	n	Factor
	1	1.00450	43	1.19350
	2	1.00900	44	1.19800
	3	1.01350	45	1.20250
	4	1.01800	46	1.20700
	5	1.02250	47	1.21150
	6	1.02700	48	1.21600
	7	1.03150	49	1.22050
	8	1.03600	50	1.22500
	9	1.04050	51	1.22950
	10	1.04500	52	1.23400
		1.04950	53	1.23850
	12	1.05400	54	1.24300
		1.05850	55	1.24750
		1.06300	56	1.25200
	15	1.06750	57	1.25650
		1.07200	58	1.26100
		1.07650	59	1.26550
		1.08100	60	1.27000
		1.08550	61	1.27450
	20	1.09000	62	1.27900
		1.09450	63	1.28350
		1.09900	64	1.28800
		1.10350	65	1.29250
		1.10800	66	1.29700
		1.11250	67	1.30150
		1.11700	68	1.30600
		1.12150	69	1.31050
	28	1.12600	70	1.31500
		1.13050	71	1.31950
		1.13500	72	1.32400
		1.13950	73	1.32850
		1.14400	74	1.33300
	33	1.14850	75	1.33750
	34	1.15300	76	1.34200
		1.15750	77	1.34650
		1.16200	78	1.35100
		1.16650	79	1.35550
		1.17100	80	1.36000
		1.17550	81	1.36450
		1.18000	82	1.36900
		1.18450	83	1.37350
		1.18900	84	1.37800
nere n=	Number of con	npleted months from due	date of Survival	Benefit to

Where n= Number of completed months from due date of Survival Benefit to the actual date of Survival Benefit payment on or before the Date of Maturity.

### Annexure - 5

Policy Yr.	ntage) Policy Term							
	13	14	15	16	17	18		
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%		
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%		
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%		
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%		
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%		
8	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%		
9	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%		
10	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%		
11	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%		
12	80.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%		
13	80.00%	80.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%		
14		80.00%	80.00%	76.25%	73.33%	71.00%		
15			80.00%	80.00%	76.67%	74.00%		
16				80.00%	80.00%	77.00%		
17					80.00%	80.00%		
18						80.00%		
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

	-		-				
Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premium paid (in percentage)							
Policy Yr.	Policy Term						
	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%

- 37. पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज है जो कि पॉलिसीधारक तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध सेना है।
- 38. पॉलिसीधारक इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
- 39. पॉलिसी अवधि वर्षों में पॉलिसी के आरम होने की तिथि से वह अवधि है, जब पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार संविदागत हितलाभ देय होते हैं।
- 40. पॉलिसी वर्ष दो लगातार पॉलिसी वर्षगाठों के बीच की अवधि है। इस अवधि में पहला वर्षगाठ का दिन शामिल है तथा अगला पॉलिसी वर्षगाठ का दिन शामिल नहीं है।
- 41. प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्धारित समयों पर आवधिक रूप से पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जाने वाली संविदागत राशि है।
- 42. निरन्तर बीमा योग्यता का प्रमाण यह पॉलिसीधारक से मांगी जानेवाली जानकारी है ताकि पॉलिसी के पुन:प्रचलन का निर्णय लिया जा सके। इसमें उत्तम स्वास्थ्य की घोषणा, मेडिकल रिपोर्ट्स, विशेष रिपोर्ट्स आदि का समावेश है।
- **43. प्रस्तावक** वह व्यक्ति है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव देता है।
- 44. पुन: प्रचालन का अर्थ प्रीमियम का भुगतान न किए जानेवाली पॉलिसी को, सभी देय प्रीमियम्स तथा अन्य प्रभारों/विलम्ब शुल्क, अगर कोई हो, पॉलिसी के नियमों व शतों के अनुसार प्राप्त होने तथा पॉलिसीधारक द्वारा मौजूदा बीमालेखन दिशानिर्देशों के अनुसार पेश की गई जानकारी, कागजातों तथा रिपोर्ट्स के आधार पर बीमाधारक की निरन्तर बीमायोयता के बारे में संतुष्ठ होने पर बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी को पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेख किए गए समस्त हितलाभों फिर से चालू किए जाने से है।
- 45. पुन: प्रचालन अवधि इसका अर्थ पॉलिसी के अप्रभावी होने की तिथि से लगातार दो वर्षों की अवधि है, जिसे अवधि के दौरान पॉलिसीधारक पॉलिसी के पुन:प्रचालित करने का पात्र है, जिसे प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण अप्रभावी कर दिया गया हो।
- 46. राइडर इस पॉलिसी के अंतर्गत विनिर्धारित किए गए अनुसार मूल हितलामों के साथ जोड़ा गया एक मूल्यवद्धित हितलाभ है।
- 47. राइडर प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा, अगर राइडर चुना गया हो तो उसके अतिरिक्त संरक्षण/हितलाभ के लिए मूल प्लान के अंतर्गत देय प्रीमियम के साथ अदा किया जाने वाला प्रीमियम है।
- 48. अनुसूची आपके पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मौजद है।
- 49. सरल प्रत्यावर्ती बोनस 'लाम सहित' पॉलिसों पर निगम द्वारा अतिरिक्त/लाम के रूप में जोड़ा जाता है। निगम के अनुभव के अनुसार इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रति हजार मूल बीमा राशि पर घोषित किया जाता है।
- 50. मृत्यु पर बीमा राशि इस पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु पर देय सुनिश्चित राशि।
- 51. सरेन्डर का अर्थ पूरी पॉलिसी को परिपक्वता से पहले वापस लेना/समाप्त करना है।
- 52. सरेन्डर मूल्य का अर्थ, वह राशि है, अगर कोई हो, जो कि इस पॉलिसी के नियमों तथ शतों के अनुसार उसे सरेन्डर करने की स्थिति में देय होती है।
- **53. विद्यमानता हितलाभ** इस पॉलिसी की अवधि के दौरान विनिर्धारित अवधियों के अंत में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय हितलाभ है।
- 54. वीमालेखन शब्द का इस्तेमाल जोखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों का सामना किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपातिक लागत है। बीमालेखन के आधार पर संरक्षण की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तों को लागू किए जाने, अगर कोई हो, के संबंध में फैसला लिया जाता है।
- **55. UIN** का अर्थ इस प्लान को आईआरडीए द्वारा आबटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन
- **56. निहित बोनस** यह प्रत्यावर्ती बोनस है जो घोषित किया जा चुका है तथा पॉलिसी के साथ जुड़ा रहता है।
- 57. लाभ सहित पॉलिसियां के तात्पर्य ऐसी पॉलिसियों से है, जो पॉलिसी के नियमों और शतों के अनुसार पॉलिसी की अवधि के दौरान निगम को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि (मुनाफे) में भागीदारी की पात्र होती हैं।

# भाग – स: हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

- परिपक्वता हितलाभ: बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की निर्धारित अविध तक जीवित रहने पर, बशतें यथातिथि तक प्रीमियम्स का भुगतान करके पॉलिसी पूर्णतः प्रभावी हो, ''परिपक्वता पर बीमा राशि'' (जो कि मूल बीमा राशि का 40% है) निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, अगर कोई हो, के साथ देय होगी।
- 2. मृत्यु पर देय राशि: बीमित व्यक्ति की परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पूर्व मृत्यु होने पर, बशर्ते यथातिथि तक सभी प्रीमियम्स का भुगतान करके पॉलिसी पूर्णतः प्रभावी हो,

जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पहले मृत्यु होने पर:

भुगतान किए गई प्रीमियमों की कुल राशि, जिसमें टैक्स, अतिरिक्त और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, शामिल नहीं है, के बराबर की कुल राशि का भुगतान किया

जोखिम के आरभ होने की तिथि के बाद मृत्यु होने पर

मृत्यु पर मिलने वाली रकम, जिसे "मृत्यु पर बीमा राशि" तथा निहित प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, अगर कोई हो, के कुल के रूप में परिभाषित किया गया है, देय होगी। "मृत्यु पर बीमा राशि" को वार्षिकीकृत प्रीमियम के 10 गुना या पूर्ण बीमा राशि यानी मूल बीमा राशि में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है, देय होगी। मृत्यु पर मिलने वाली यह रकम मृत्यु की तिथि तक अदा किए गए कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगी।

ऊपर उल्लेख किए गए प्रीमियमों में टैक्स, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है।

जोखिम के आरंभ होने की तिथि: बीमित व्यक्ति के 8 वर्ष से कम उम्र में प्रवेश करने की स्थिति में, इस प्लान के अंतर्गत जोखिम की शुरुआत या तो पॉलिसी के शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष पूरे होने से एक दिन पहले या 8 वर्ष की उम्र पूरे होने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ या उसके तुरन्त बाद, जो भी पहले हो से शुरू होगी।

जो 8 वर्ष का उससे ज़्यादा उम्र के हो उनके लिए जोखिम की शुरूआत तुरन्त होगी।
3. विद्यमानता लाभ: 18 वर्ष, 20 वर्ष और 22 वर्ष की उम्र पूरी करने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ या उसके तुरन्त बाद बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर मूल बीमा राशि के 20% का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी पूरी तरह प्रभावी हो।

Policyholder and the Corporation.

- 38. Policyholder is the legal owner of this policy.
- 39. Policy term is the period, in years, from the Date of commencement of policy during which the contractual benefits are payable as per the terms and conditions of the policy.
- 40. Policy year is the period between two consecutive policy anniversaries. This period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.
- 41. Premium is the contractual amount payable by the Policyholder at specified times periodically as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy.
- **42. Proof of continued insurability** is the information sought from the policyholder to decide revival of the policy. This includes Form of declaration of Good Health. Medical Reports. Special Reports. etc.
- 43. Proposer is a person who proposes the life insurance proposal.
- 44. Revival of a policy means restoration of the policy, which was discontinued due to the non-payment of premium, by the insurer as per underwriting decision, upon the receipt of all the premiums due and other charges/late fee, if any, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied as to the continued insurability of the insured on the basis of the information, documents and reports furnished by the policyholder, in accordance with the then existing underwriting guidelines.
- 45. Revival Period is the period of two consecutive years from the date of discontinuance of the policy, during which period the policyholder is entitled to revive the policy which was discontinued due to the non-payment of premium
- **46. Rider** is an add-on benefit in addition to basic benefits as specified under this Policy
- 47. Rider Premium is the premium payable by the Policyholder along with the premium under basic plan towards the additional cover/benefit opted under the rider if opted
- **48. Schedule** is the part of policy document that gives the details of your policy.
- 49. Simple Reversionary Bonus is the surplus/profit added by the Corporation to 'with-profits' policies. It is declared per thousand Basic Sum Assured at the end of each financial year based on the Corporation's experience.
- **50. Sum Assured on Death** is the assured amount payable on death during the policy term.
- **51. Surrender** means complete withdrawal/termination of the entire policy before maturity.
- **52. Surrender Value** means an amount that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of this policy.
- 53. Survival Benefit is the benefit payable on survival of the Life Assured at the end of specified durations during the term of this policy.
- 54. Underwriting is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.
- 55. UIN means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.
- **56. Vested Bonus** is the reversionary bonus, if any, which has already been declared and remains attached to the policy.
- 57. With Profits policies means policies which are entitled for any share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

# PART - C: BENEFITS

The following benefits are payable under this policy:

- Maturity Benefit: On the Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is in full force by paying upto-date premiums, Sum Assured on Maturity (which is 40% of the Basic Sum Assured) along with vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any shall be payable.
- 2. Death Benefit: On death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity provided the policy is in full force by paying upto-date premiums then

On death Before the Date of Commencement of Risk:

An amount equal to the total amount of premium/s paid excluding taxes, extra premium and rider premium, if any, shall be payable.

On death After the Date of Commencement of Risk:

Death Benefit, defined as sum of "Sum Assured on Death" and vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any, shall be payable. Where "Sum Assured on Death" is defined as higher of 10 times of annualized premium or Absolute amount assured to be paid on death i.e. Basic Sum assured. This death benefit shall not be less than 105% of the total premiums paid as on date of death.

The premiums mentioned above exclude tax, extra premium and rider premium if any

Date of Commencement of Risk: In case the age at entry of the Life Assured is less than 8 years, the risk under this plan will commence either one day before the completion of 2 years from the date commencement of policy or one day before the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 8 years of age, whichever is earlier. For those aged 8 years or more, risk will commence immediately.

- 3. Survival Benefit: On the Life Assured surviving the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of ages 18 years, 20 years and 22 years, 20% of the Basic Sum Assured shall be payable, provided the policy is in full force.
- Date of Vesting: If the policy is in full force and the Life Assured shall be alive on the vesting date and if a request in writing for surrendering the policy

10

4. निहित होने की तिथि: अगर पॉलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो तथा निहित होने की तिथि तक बीमित व्यक्ति जीवित हो और इस निहित होने की तिथि से पहले पॉलिसी की धनराशि हेतु पात्र व्यक्ति से पॉलिसी को सरेन्डर करने के लिए लिखित में अनरोध प्राप्त नहीं होता है तो निहित होने की इस तिथि को अर्थात 18 वर्ष की उम्र होने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ को या उसके तुरन्त बाद पॉलिसी बीमित व्यक्ति को स्वतः निहित हो जाएगी और इस प्रकार निहित होने को निगम और बीमित व्यक्ति के बीच करार माना जाएगा। बीमित व्यक्ति को पॉलिसी का सम्पूर्ण मालिक माना जाएगा तथा प्रस्तावक या उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या

## राइडर हितलाभः

एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (UIN: 512B204V02) (अगर चुना गया हो): एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर अतिरिक्त प्रीमियम के भगतान पर पात्र प्रस्तावक (इस . राइंडर को चुने जाने की तिथि को जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो) को उपलब्ध है. हालांकि यह राइडर पॉलिसी के आरंभ के समय उपलब्ध है, लेकिन इसे प्रीमियम भूगतान अवधि के दौरान किसी पॉलिसी वर्षगांठ पर भी चुना जा सकता है, बशतें मुन प्लान की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो. राइडर के इस विकल्प को प्रस्तावक द्वारा स्वयं लिखित में अनुरोध करके अमल किया जा सकता है तथा इस बारे में निगम द्वारा सूचित किए जाने या अनुस्म आवश्यकता नहीं है.

उल्लेख किए गए किसी के विपरीत होने के बावजूद, प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक या प्रज की मृत्यु तक, जो भी पहले हो, मूल प्लान के किस्त प्रीमियम के साथ इस राइडर के सबय में अतिरिक्त प्रीमियम्स के मुगतान के प्रतिफल स्वरूप, एतदुद्वारा यह घोषित और स्वीकृत किया जाता है;

- अ) प्रस्तावक को मृत्यु की तिथि के बाद देय होने वाले मूल प्लान के प्रीमियमों के भुगतान को माफ कर दिया जाएगा।
- ब) ऊपर (अ) में उल्लेख किया गया प्रीमियम माफी हितलाभ, प्रस्तावक की उम्र, व्यक्तिगत क घोषणा और संबंधित कागजातों के आधार पर प्रदान किया गया है और अगर पाया जाता है कि इसमें कोई असत्य या गलत कथन है या किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है, त प्रत्येक मामले में, एवं बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन हितलाभ के सभी दावों को समाप्त माना जाएग
- स) इस राइडर अंतर्गत उपरोक्त (अ) में उल्लेख किया गया प्रीमियम माफी हितलाम उस समय प्रभावी नहीं होगा, अगर प्रस्तावक (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) इस राइडर के अंतर्गत जोखिम आरंम होने की तिथि से 12 महीने के अंदर या पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के अंदर आत्महत्या करता है तो निगम द्वारा किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त स्थिति में, एलआईसी के प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर के अदा किए प्रीमियम टैक्स तथा अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर अगर कोई हो, के 80% को लौटा दिया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो.
- द) इस राइडर के लिए अदा किए गए अतिरिक्त प्रीमियम को मूल प्लान के अंतर्गत हितलाभ की गणना करने तथा पॉलिसी के सरेन्डर मूल्य की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- य) अगर पॉलिसी कालातीत/चुकता स्थिति में हो तो प्रीमियम माफी हितलाभ लागू नहीं होगा।
- अगर प्रस्ताव अवस्था या पुनर्चलन पर स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट्स की आवश्यकता हो, यह निगम द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य जांचकर्ता से प्रस्तावक के खर्चे पर ली जाएगी।
- ल) राइडर के पुनर्चतन पर मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ विचार किया जाएगा। अदा न किए गए प्रीमियम की देय तिथि से सतत दो वर्षों की अविध के अंदर या पॉलिसी अविध की समाप्ति से पहले, जो भी पहले हो, राइडर को पुनर्चलित किया जा सकता है, जो कि ''कालातीत पॉलिसियों के प्रचालन'' की धारा के अलावा नीचे दी गई अपेक्षाओं के अधीन होगा।
- स्वास्थ्य के प्रमाण तथा प्रस्तावक की आदतों के बारे में निगम हेतु संतोषजनक यह प्रमाण होना चाहिए उक्त प्रस्तावक की व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास या व्यवसाय में कोई प्रतिकल
- 6. विद्यमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने का विकल्प: पॉलिसी की देय तिथि उसके बाद लेकिन पॉलिसी के चालू रहने के दौरान पॉलिसीधारक के कभी भी विद्यमानता हितलाभ (लाभों) को प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगर पॉलिसीधारक देय विद्यमानता हितलाम को विलंबित करने का विकल्प चुनता है, तो निगम द्वारा बढ़े हुए विद्यमानता हितलाभ (लाभों) का भुगतान निम्नअनुसार करेगा।

विद्यमानता हितलाभ %\* बीमा राशि\* (विद्यमानता हितलाभ (लाभों) पर लाग घटक) विद्यमानता हितलाभ (लाभों) पर लागू घटक परिशिष्ट-4 में संलग्न हैं।

इन विकल्पों पर अलग से या सभी विद्यमानता लाभों पर अमल किया जा सकता है तथा इसकी सूचना लिखित रूप से देय तिथि से 6 महीने पहले निगम के सेवादायी शाखा कार्यालय को दी जानी चाहिए। अन्यथा विद्यमानता हितलाभों का भुगतान देय तिथियों को इस पॉलिसी की शतों के अनुसार किया जाएगा।

 मुनाफों में प्रतिभागिता: पॉलिसी के पूरी तरह से प्रभावी होने पर, निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी समय-समय पर संशोधित एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार मुनाफों में प्रतिभागिता करेगी तथा यह पॉलिसी निगम द्वारा घोषित दर और शतौं के अनुसार सरल प्रत्यावर्ती बोनस की पात्र होगी।

सरल प्रत्यावर्ती बोनसों की घोषणा वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी, बशर्तें पॉलिसी पूरी तरह से प्रमावी हो। एक बार घोषित किए जाने पर वे प्लान के गारंटीड हितलाभों का हिस्सा होंगी। सरल प्रत्यावर्ती बोनसों को पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से चुनी हुई पॉलिसी अवधि या मृत्यु होने तक, जो भी पहले हो. जोडा जाएगा।

चुकता पॉलिसी के मामले में, निहित बोनसों का भूगतान तभी किया जाएगा, अगर कम ने कम तीन पूरे वर्षों के प्रीमियम भरे गए हों।

अगर प्रीमियमों का विधिवत भुगतान नहीं किया गया हो तो पॉलिसी मुनाफों में प्रतिभागिता नहीं करेगी, चाहे पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त किया हो या नहीं।

अगर पॉलिसी को सरेन्द्रर किया जाता है। तो निहित बोनसों का सरेन्द्रर मुल्य अ कोई हो, सरेन्डर की तिथि को जो भी लागू हो, इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग द की शर्त सं. 5 में विनिर्धारित अनुसार देय होगा। पॉलिसी के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस की घोषणा उस वर्ष की जा सकती है,

जब मृत्यु या परिपक्वता के कारण दावे की स्थिति उत्पन्न हो। चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा।

# प्रीमियमों का भगतान:

- अ) प्रीमियम भूगतान का तात्पर्य है ''प्रीमियम की सभी किस्तों का भूगतान करना'', जिसमें निम्नलिखित शामिल है।
- i) मूल प्लान के लिए किस्त प्रीमियम और
- ii) एलआईसी के प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर के लिए किस्त प्रीमियम, अगर प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर को चुना गया हो।
- ब) रियायती अवधि: प्रीमियम भूगतान के वार्षिक, छमाही या तिमाही माध्यमों के लिए

has not been received by Corporation before such vesting date from the person entitled to the policy moneys, this policy shall automatically vest in the Life Assured on such vesting date i.e. on the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 18 years of age and shall on such vesting be deemed to be a contract between the Corporation and the Life Assured. The Life Assured shall become the absolute owner of the policy and the proposer or his estate shall cease to

### 5. Rider Benefit:

LIC's Premium Waiver Benefit Rider (UIN: 512B204V02) (if opted): LIC's Premium Waiver Benefit Rider is available to the eligible proposer (aged between 18 years to 55 years as on the date on which this rider is opted) or payment of additional premium. While this rider is available at inception, it can also be opted on any policy anniversary during the premium paying term provided the outstanding premium paying term of the basic plan is at least 5 years. Such option for this rider is to be exercised by the proposer on his own in writing without need of any intimation or reminder for the same from

Notwithstanding anything within mentioned to the contrary; in consideration of the payment of additional premiums in respect of this rider with every instalment premium of base plan till the end of premium paying term or till the death of the proposer whichever occurs earlier, it is hereby declared and agreed as follows:

- (a) The payment of the premiums in respect of the base plan falling due after the date of death of the proposer shall be waived
- (b) The Premium Waiver Benefit as stated in (a) has been granted on the basis of the proposer's age, personal statement, declaration and connected documents and in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained therein or any material information is withheld, then and in every such case all claims to the benefit shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act. 1938, as amended
- (c) The Premium Waiver Benefit described in (a) shall be void and no claims will be entertained under this Rider, if the proposer (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from the date of nmencement of risk under this rider or within 12 months from the date of revival.

Subject to the above, 80% of the premiums paid (excluding taxes and extra premium, if any) for LIC's Premium Waiver Benefit Rider shall be efunded provided the policy is inforce;

- (d) The additional premium paid in respect of this rider shall not be taken into account for determination of Death Benefit of the base plan and in calculating the surrender value of the policy;
- (e) The Premium Waiver Benefit shall cease to apply if policy is in
- (f) The medical report and special reports, if required, at proposal stage or on revival, shall be at the own expense of the proposer from the Corporation's appointed Medical Examiner:
- (g) The revival of the rider will be considered along with the revival of the base policy. The rider can be revived at any time but within a period of two consecutive years from the due date of the said unpaid premium or before the date of expiry of policy term, whichever is earlier, shall be clause "Revival of Lapsed Policies".

Evidence of health and habits of the proposer to the satisfaction of the Corporation and of evidence to show that there has been no adverse change in Personal or Family History or occupation of the said proposer.

6. Option to defer the Survival Benefit(s): The policyholder shall have an option to take the survival benefit (s) at any time on or after its due date but during the currency of the policy. In case the policyholder opts to defer the due Survival Benefit (s) then, the Corporation will pay increased Survival Benefit (s) equal to

Survival Benefits%\* Sum Assured\* (Factors applicable to Survival Benefit(s)) The factors applicable to Survival Benefit(s) are enclosed as Annexure - 4.

Such options can be exercised for either or all the Survival Benefits separately and is to be intimated in writing to the servicing branch office of the Corporation atleast six months before the due date. Else the Survival Benefits would be paid on the due dates as per the terms of this policy.

7. Participation in profits: Provided the policy is in full force, depending upon the Corporation's experience the policy shall participate in profits in accordance with the provisions of Section 28 of LIC Act 1956 as amended from time to time and this policy will be eligible for Simple Reversionary Bonus at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

Simple Reversionary Bonuses shall be declared annually at the end of each financial year provided the policy is in full force. Once declared, they form part of the guaranteed benefits of the plan. Simple reversionary bonuses be added from the date of commencement of policy until the selected policy term or till death, if it occurs earlier.

In case of a paid-up policy vested bonuses shall be payable only if atleast three full years' premiums have been paid.

In case the premiums are not duly paid, the policy shall cease to participate in profits irrespective of whether or not the policy has acquired paid up value. In the event of policy being surrendered, the Surrender Value of vested bonuses, if anv. as applicable on the date of surrender, will be payable as specified in condition No.5 of Part D of this policy document.

Final Additional bonus may also be declared under the policy in the year when the policy results into a claim either by death or maturity

Final Additional Bonus shall not be payable under paid-up policies.

शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप

- शत यह मा है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदशन पर उसके परणामस्करप अपने आप रह्म हुआ हो, वह नामांकन समनुदेशित द्वारा पुन: समनुदेशन या अंतरिती द्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमांकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुन: अंतरण से स्वत: पुन: प्रचालित हो जाएगा। जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भगतान हेत परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सरक्षित राशि का भगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या क धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा। धिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाण
- जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का गतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।
- इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपन माता / पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो. ऐसे नामित उप–धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के ार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।
- उपरोचत कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले जावन के बातना जन्म नाम है, व अपन ने आत्र है। जाति है। जाति या नामित ये जाति के हिस्से का प्रतिनिधिक करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए
- 9. उप=धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी
- उन-पाराजा (7) और (0) न कुछ मा जावन बामा का किसा पालिसा का आमदानया से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा। 10. उप–धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनयम, 2015 के आरंम होने के बाद मुगतान के लिए परिपक्त होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।
- 11. जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाम का मुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हाँ, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाम को पाने का पात्र होगा। 12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6,
- विवाहित की सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी लागू किया गया हो। शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, बाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया हो, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

# बीमा कानन (संशोधन) अधिनियम, 2015 दारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

- 1. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पूर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।
- जीवन बीमा की कियी पॉलियी को पॉलियी के जारी होने की विधि या जोरिया आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइंडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधडी के आधार पर प्रश्न के लिए बलाया जा सकता है। शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरण ।: इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, ''धोखेधड़ी'' का अर्थ है बीमाधारक या एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्यः

- अ. सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास
- ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था:
- स. धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा
- द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो। स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ़ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या के एजेन्ट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में
- उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी हों धोखेंधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह माणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

धोखेंधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे

- संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएगा। जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनंचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चालित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।
- शर्त यह है कि बीमाकर्ता दारा बीमाधारक को या बीमाधारक के काननी प्रतिनिधि या नामांकित रता यह है कि बानारोगी हुंगा बानाराय का वा बानायार के लगूना आतामाय पानावालय व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है। आगे शर्त यह है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजन हेत्. किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।
- 5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी की सिर्फ़ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया ट, जार यह उसके रहार जाउनुहरी है राजा करना नाहरता का राजा है शाहर, ब्रह्म के रहार जुड़ाला नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policy-holder on repayment of loan other than on a ecurity of policy to the insurer.

- Security of policy for the insurer.

  Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose lifer insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policy-holder or his heirs or legal representatives of the holder of a succession certificate, as the case may be.
- (6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.
- (7) Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such bene
- (8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees o he holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.
- (9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.
- (10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment)
- (11) Where a policy-holder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceed and benefit of his policy.
- (12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to wi section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any t

Provided that where a nomination made whether before or after the commencemen of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is exp whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

### Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- (1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoe after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revivathe policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
- (2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the gal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and naterials on which such decision is based.

Explanation I. For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy.

- (a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true
- (b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact:
- (c) any other act fitted to deceive; and
- (d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II: Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the mis-statement of or suppression of a material fact was true to the best of his nowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the or that such mis-statement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer.

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation – A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three y A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purpose of this sub-section, the mis-statement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the nsurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued

(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

# समनुदेशन–बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938

- वि धारा 38 के अनुसार 1 बीमा पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, पूर्णतः या अंशतः प्रतिफलसहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंस्ट्रूमेन्ट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या समनुदेशक या उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए विशेष रूप से अंतरण या अभ्यर्पण के तथ्य और कारण, समनुदेशित के
- पूर्ववृत्त और समनुदेशन की शतौँ का उल्लेख करते हुए। बीमाकर्ता उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है या किसी प्रष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने
- सकता है यो किसा पृष्ठाकन को स्वाकार करन से मना कर सकता है, अगर उसक पास यह मानन का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनिहत या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं है। बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समनुदेशन का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधारक को सूचित करेगा। बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रमावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के प्राप्त अपना टावा एक सकता है।
- के पास अपना दावा रख सकता है।
- उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या समनुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इंस्टूमेन्ट पर अमल प्रमावी होगा, सिवाय वहां जहां अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रमावी न होगा, तथा यह अंतरिती या समनुदेशित बानाधर्मा के पेबन ने हैं, बानाधर्मा के एकि के प्रकार में होगे, एवंच यह असारता या सन्तुप्रवास या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन का लिखित में नोटिस या उक्त पृष्ठांकन या इंस्ट्रूमेन्ट की प्रति, जिसे जब तक कि अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।
- बीमाकर्ता को साँपा नहीं जाता है।

  बशतें जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।

  6. जिस तिथि को उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समनुदेशन के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकर्ता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या समनुदेशन के एक से अधिक इंस्ट्रूमेन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्रूमेन्ट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस सुपुर्द किए गए हैं।

  समनुदेशितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

  7. उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समनदेशन के तथ्य को
- 7. उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समन्देशन के तथ्य को उपनितार (3) में सद्मित निहित्त के प्रार्थ होता के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अतिरती या समनुदेशित, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है, और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निष्कर्षी साक्ष्य माना जाएगा कि उसे पावती
- विस्ता प्रोता पत्र बानावराति के विराद्ध इस बात की निकास सिवय माना जाएगा कि उस पायरा से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है। अंतरण या समनुदेशन के नियमों तथा शतों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा, उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात्र अंतरिती या समनुदेशित की पहचान करेगा या ऐसा व्यक्ति उन सभी दायिताओं तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या समनुदेशन की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के अंतरण या समनुदेश की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कार्रवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अभ्यर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कार्रवाई की एक पार्टी बना सकता है।
- जत प्रशा कारवाइ का एक पाटा बना सकता हा स्पष्टीकरण सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उल्लेख करता हो कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा (10) के अंतर्गत सशर्त है, प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समनुदेशित या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण समनुदेशित या अंतरिती माना जाएगा।
- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी समनुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समनुदेशित या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधारों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।
- किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में सम्मुदेशन इस दशा में किया जा सकता है कि
   ज. पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस
  - दशा में देय हो सकती है अगर समनुदेशित या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो
  - बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगा
  - तथापि सशर्त समनुदेशित पॉलिसी को अभ्यर्पण करने या पॉलिसी पर ऋण लेने का पात्र नटीं होगा।
- नहा हागा। 11. उप-धारा (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की दायिता आंशिक समनुदेशन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए पुन: समनुदेशन या अंतरण करने

# नामाकन- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938

- 1. जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाएगा शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिंग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन जी होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिंग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त
- ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं ्रेत जिस्ती नानायन यो प्रमाया पर विरो, अपर पहुंचालता को शब्द योजान ने निर्मानत है. है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के ज़िए निर्मामित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अतगत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकत
- वारताच्या बनार पर निर्माण का राज्य वार्तामां का राज्य वार्तामां का राज्य वार्तामां का राज्य वार्तामां का राज्य नामांकित को किसी मुपाता के लिए दायी नहीं होगा। बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बद्वे जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या
- परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है। धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः रह हो जाएगाः शर्त यह है कि बीमांकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो कि समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमांकर्ता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर, उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुनः समनुदेशन के अर्थातर्गत हो, ऋण स्वरूप की भरपाई करने पर नामांकन रह नहीं होंग लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना कि पॉलिसी में बीमाक
- का ।हत हा: आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या समनुदेशित द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे यह पूर्णत: हो या अंशत:, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशित का हित होगा:

### Annexure 1

# Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 $\,$

- 1. A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.
- 2. An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policy-holder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.
- The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policy-holder not later reasons for such refusal and communicate the same to the policy-holder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or
- 4. Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
- claim to the Authority.

  Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer.
- Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being served.
- The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy, and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which notices referred to in sub-section (5) are delivered: Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.
- the dispute shall be referred to the Authority.

  7. Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given or if the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgement relates. knowledgment relates.
- 8. Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferor or assignor entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject at the date of the policy and such person shall be subject at the date of the policy. and equilies to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.
- Explanation Except where the endorsement referred to in sub-section (I) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.
- Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by provisions of this
- 10. Notwithstanding any law or customer having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that
  - The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or
- b. The insured surviving the term of the policy , shall be valid:
- Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.
- In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

# Annexure – 2 Nomination - As Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his
  - Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.
- secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

  (2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in the records of the insurer.
- (3) The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.
- (4) A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall
- Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its re-assignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:
- Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case

एक कैलेन्डर माह या 30 दिनों तक की और मासिक प्रीमियमों के लिए 15 दिनों रियायती अवधि दी जाएगी। अगर रियायती के दिनों के समाप्त होने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, पॉलिसी कालातीत हो जाएगी।

- आर बीमित व्यक्ति की मृत्यु रियायती अवधि के दौरान लेकिन तब देय प्रीमियम के भुगतान से पहले हो जाती है तो पॉलिसी मान्य रहेगी तथा उस प्रीमियम और पॉलिसी की अगली वर्षगांठ से पहले देय भगतान न किए गए प्रीमियम को भी काटकर हितलाभों का भूगतान कर दिया जाएगा।
- स) अगर पॉलिसी कालातीत नहीं हुई है और पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दावा दर्ज हुआ है, जहां प्रीमियम के भुगतान का माध्यम वार्षिक माध्यम से भिन्न है, अगर किन्हीं प्रीमियम्स का भुगतान नहीं किया गया है. और वे अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय होती हैं. तो उन्हें दावे की राशि

### भाग – द: सेवा प्रदान करने के पहल से संबंधित शर्तें

- 1. उम्र का प्रमाण: प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित की गई बीमित व्यक्ति की उम्र पर प्रीमियम की ना हो जाने के पश्चात यदि उम्र उस उम्र से अधिक पायी जाती है तो बिना किसी पूर्वाग्रह बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों सहित निगम अन्य अधिकारों और उपचारों को क्षति पहुंचाए बिना, ऐसे मामले में प्रीमियम समय सही तम के आधार पर मल बीमाराशि और राइडर्स बीमाराशि अगर लिया गया हो तो के लिए निकाली गई दर से देय होगा और बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक निगम को पॉलिसी आरंभ होने से लेकर ऐसे मुगतान की तिथि तक मूल ग्रीमियम और सही उम्र के लिए ग्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अविध के लिए निगम द्वारा उस समय प्रचलित निर्धारित दर पर ब्याज सहित भुगतान करेगा। तथापि, प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति प्रस्तावक इसमें उल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही उम्र के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किस्त पर दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ देय होगी। उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय ऋण माना जाएगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी धनराशि से काट लिया जाएगा।
- यह भी प्रावधान है कि यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही उम्र ऐसी हो तो जक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग अथवा शतों के अधीन जसे बीमा के लिए अयोग्य बना दे तो उसको बीमा के आरंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा वर्ग अथवा शर्तों में परिवर्तित कर दिया जाएगा जो कि पॉलिसीधारव की सहमति के अधीन होगी, अन्यथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।
- 2. गैर-जब्ती संबंधी कानून: अगर इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 वर्षों से कम के लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और उसके बाद के प्रीमियमों का भुगतान न किया गया हो तो अदा न किए गए पहले प्रीमियम की तिथि से रियायती अवधि की समाप्ति के बाद इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा।
- लेकिन अगर, इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पूरे तीन सालों के प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद, अगले प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह पूरी तरह से अमान्य नहीं होगी, बल्कि चुकता पॉलिसी का रूप ले लेगी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **''मृत्यु पर बीमा राशि''** कहा जाएगा तथा यह [(अदा किए गए कुल प्रीमियम/देय प्रीमियमों की कुल संख्या) x मृत्यु पर बीमा राशि] के समान होगी।
- चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर बीमा राशि घट जाएगी तथा इस राशि को "परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि" कहा जाएगा और यह [(अदा किए गए कुल प्रीमियम/देय प्रीमियमों की कुल संख्या) x (परिपक्वता पर बीमा राशि + पॉलिसी के अंतर्गत देय कुल विद्यमानता हितलाभ)] - पॉलिसी के अंतर्गत अदा किए जा चुके विद्यमानता हितलाभ के समान होगी।
- इस प्रकार घटायी गई पॉलिसी उल्लेख किए गए प्रीमियमों के अंतर्गत भुगतान हेतु सभी दायिताओं से मुक्त होगी, लेकिन भविष्य के मुनाफों में भागीदारी की पात्र नहीं होगी। हालांकि अगर कोई निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस हो, तो वे चुकता पॉलिसी से
- पूर्णतः प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध हितलाभों के होने के बावजूद, चुकता पॉलिसी के मामले में कोई विद्यमानता हितलाभ देय नहीं होंगे। तथापि, अगर विद्यमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने के विकल्प का इस्तेमाल किया गया हो तथा ऐसे विद्यमानता हितलाभों का भुगतान नहीं किया गया हो, तो ये बढ़े हुए विद्यमानता हितलाभ, जिनका उल्लेख भाग स की शर्त 6 में किया गया है, पॉलिसी अवधि की समाप्ति या उससे पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय होंगे।
- उपरोक्त उल्लेख किए गए के बावजूद, अगर इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पूरे 3 वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमियम का भुगतान न किया गया हो, तो पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की देय तिथि से छः महीने के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ''मृत्यु पर देय बीमा राशि'' का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों, अगर कोई हो, के साथ (अ) मूल पॉलिसी हेतु मृत्यु की तिथि तक अदा न किए गए प्रीमियमों और उन पर लगने वाला ब्याज, शतों पर जो कि इसी अवधि के लिए पॉलिसी के पुनर्चालन पर हो तथा (ब अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय होने वाला मूल पॉलिसी के लिए अदा न किए गए प्रीमियम को घटाकर किया जाएगा।
- उपरोक्त उल्लेख किए गए के बावजूद, अगर इस पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पूरे 5 वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो, और उसके बाद के प्रीमियम का प्रभावान ने लिया गया हो, तो पहले भुगतान ने किए गए प्रीमियम की देय तिथि से 12 महीने के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'मृत्यु पर देय बीमा राशि' का भुगतान, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों, अगर कोई हो, के साथ (अ) मूल पॉलिसी हेतु मृत्यु की तिथि तक अदा न किए गए प्रीमियमों और उन पर लगने वाला ब्याज, जन्हीं शतों पर जो कि इसी अविध के लिए पॉलिसी के पुनर्चालन पर हो तथा (ब) अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय होने वाला मूल पॉलिसी के लिए अदा न किए गए प्रीमियम को घटाकर किया जाएगा।
- ये प्रावधान वैकल्पिक राइडर पर लागू नहीं होते है क्योंकि वे कोई चुकता मूल्य प्राप्त नहीं करते है और पॉलिसी के कालातीत अवस्था में होने पर राइडर हितलाम समाप्त हो जाते हैं।
- 3. **कालातीत पॉलिसीयों का पनः प्रचालन**ः अगर रियायती दिनों के अंदर पीमियम का भूगतान न करने के कारण पॉलिसी कातातीत हो गयी हो, तो इसे अदा न किए गए पुगतान न करने के कारण पॉलिसी कातातीत हो गयी हो, तो इसे अदा न किए गए पहले प्रीमियम की तिथि से लगातार 2 वर्षों की अवधि के अंदर, तथा परिपक्वता की तिथि से पहले, मगर बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान फिर से बहाल किया जा सकता है। जो कि निगम को बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (अगर प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर चुना हो) संतोषप्रद, निरन्तर बीमा योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने

## 8. Payment of Premiums

- (a) The premium payable will be "total instalment premium" which includes i. Instalment premium for Basic Plan and
  - ii. Instalment premium for LIC's Premium Waiver Benefits Rider, if Premium Waiver Benefit Rider has been exercised
- (b) Grace period: A grace period of one month but not less than 30 days shall be allowed for payment of yearly or half-yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.
  - If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefits shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the unpaid premium/s falling due before the next anniversary of the
- (c) If the policy has not lapsed and the claim is admitted in case of death of Life Assured under a Policy where the mode of payment of premium is other than yearly, unpaid premium(s), if any, falling due before the next reary shall be deducted from the clair

### PART - D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

- Proof of Age: The premiums having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act1938, the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on the Basic Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured/Proposer continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest on reach instalment of such difference at such rate as many be fixed by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.
- Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.
- 2. Non-forfeiture Regulations: If less than 3 years' premiums have been paid n respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable.
- However, if after atleast three full years' premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premiums be not duly paid, this policy shall not be wholly void, but shall subsist as a paid-up policy. The Sum Assured on Death under paid-up policy shall be reduced to such a sum called "Death Paid-up Sum Assured" and shall be equal to [(Number of premiums paid/Total Number of premiums payable) x Sum Assured on
- The Sum Assured on Maturity under paid-up policy shall be reduced to such a sum called "Maturity Paid-up Sum Assured" and shall be equal to [(Number of premiums paid/Total Number of premiums payable) x (Sum Assured on Maturity plus Total Survival Benefits payable under the policy) less Total amount of Survival Benefits already paid under the policy)
- The policy so reduced shall thereafter be free from all liabilities for payment of the within mentioned premiums, but shall not be entitled to participate in future profits. However, the vested simple reversionary bonuses, if any, shall remain attached to the paid-up policy.
- Notwithstanding the benefits available under a fully inforce policy, in the case of paid-up policy, no survival benefits shall be payable. However, if the option to defer the Survival Benefit(s) has been exercised and payment of such Survival Benefit(s) have not yet been made, these increased Survival Benefit(s) as specified in condition 6 of Part C above shall be payable on the expiry of policy term or on death of Life Assured ,if earlier.
- Notwithstanding what is stated above, if atleast 3 full years' premiums have been paid in respect of this policy, and any subsequent premium be not duly paid, in the event of the death of the Life Assured within six months from the due date of first unpaid premium, "Sum Assured on Death" along with vested simple reversionary bonuses, if any, will be paid after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premium(s) for the basic policy falling due before the next policy anniversary.
- Notwithstanding what is stated above, if at least five full years' premiums have been paid in respect of this policy, any subsequent premium be not duly paid, in the event of death of the Life Assured within 12 months from the due date of first unpaid premium." Sum Assured on Death" along with vested simple reversionary bonuses if any, after deduction of (a) the premium or premiums for the basic policy unpaid with interest thereon upto the date of death, on the same terms as for revival of the Policy during such period and (b) the unpaid premiums for the basic policy falling due before the next policy anniversary.
- These provisions do not apply to optional rider as they do not acquire any paid up value and the rider benefits cease to apply, if policy is in lapsed
- 3. Revival of lapsed Policies: If the policy has lapsed due to non payment of

तथा समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज के साथ (छमाही चक्रवृद्धि दर से) प्रीमियम्स की सभी बकाया राशियों का भुगतान करने पर बहाल होगी। लेकिन निगम के पास स्थिगत पॉलिसी को फिर से बहाल करने को मूल शतों पर स्वीकार करने, संशोधित शतों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थिगत पॉलिसी की बहाली तभी प्रभावी होगी जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा/बीमित व्यक्ति को विशिष्ट रूप से सूचित कर दिया जाएगा।

राइडर को पुनः प्रचालित करने, अगर चुना गया हो, पर तभी विचार किया जाएगा अगर मूल पॉलिसी को भी पुनः प्रचालित किया जाता है, सिर्फ़ उसे नहीं।

- 4. पॉलिसी लोन: अगर कम से कम पूरे तीन वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो तो इस पॉलिसी की निम्नलिखित शर्तों तथा पॉलिसी के सरेन्डर मूल्य के अंतर्गत की राशि के लिए तथा निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अन्य नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत लोन प्राप्त किया जा सकता है:
- अवयस्क बीमित व्यक्ति के हित में उसके अवयस्क रहने की अविध के दौरान प्रस्तावक द्वारा लोन प्राप्त किया जा सकता है।
- ii) पॉलिसी पूर्णतः अभ्यर्पित होगी तथा ऋण और उस पर ब्याज की अदायती के लिए उसे जमानत के रूप में निगम के द्वारा धारित रखा जाएगा।
- iii) निगम को ब्याज का भुगतान, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निगम द्वारा विनिर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि दर से किया जाएगा। ब्याज की पहली किस्त का भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छः महीने पहले की तिथि पर, जो भी उसके तुरन्त बाद हो, जब ऋण स्वीकृत किया गया था, किया जाएगा और उसके बाद हर छः महीने पर किया जाएगा। ब्याज कम से कम छः महीनों के लिए लिया जाएगा।
- iv) ऐसी पॉलिसियों के मामले में जो कि प्रभावी न हों जैसे कि बुकता पॉलिसियां, ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार देय तिथि को ऋण पर ब्याज के भुगतान में चूक के कारण, निगम 30 दिनों की नोटिस अविध की समाप्ति के बाद किसी भी समय, ऐसी चूक करने वाली पॉलिसियों को समय पूर्व समाप्त करने के लिए अधिकृत है। ऐसी पॉलिसियों को समय पूर्व समाप्त किए जाने पर पूर्व-समाप्ति की तिथि पर वे सरेन्डर मूल्य के भुगतान की पात्र होंगी, जिसे बकाया ऋण त्वाउ सपर जमा ब्याज को काटकर अदा कर दिया जाएगा। हालांकि, प्रभावी पॉलिसियों के मामले में (जहां सभी प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो), पूर्व सामाप्ति की क्रिया लागू नहीं होगी।
- अगर पॉलिसी परिपक्व होती हैं या विद्यमानता हितलाभ देय होते हैं या सरेन्डर की जाती है या मृत्यु के कारण दावा किया जाता है तो निगम द्वारा पॉलिसी की धनराशि से बकाया ऋण या उसके किसी अंश को सभी देय ब्याजों के साथ काट लिया जाएगा।
- 5. सरेन्डर: पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पूरे तीन वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद उसे पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय सरेन्डर किया जा सकता है।

गारंटीड सरेन्डर मूल्य, कुल अदा किए गए प्रीमियमों (टैक्स को छोड़कर) के एक निर्धारित प्रतिशत के समान होगा, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर के लिए प्रीमियम, अगर चुना गया हो, शामिल नहीं है तथा पॉलिसी के अंतर्गत पहले अदा किए जा चुके किन्हीं विद्यमानाता हितलामों को घटा दिया जाएगा। यह प्रतिशतता पॉलिसी अवधि तथा उस पॉलिसी वर्ष पर निर्मर करेगी, जब पॉलिसी को सरेन्डर किया गया तथा यह इस कांगजात के परिशिष्ट-5 के रूप में संत्मन हैं।

इसके अलावा, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों, अगर कोई हो के सरेन्डर मूल्य का भी भुगतान किया जाएगा, जो कि निहित बोनस और निहित बोनसों पर लागू सरेन्डर मूल्य घटक के गुणनफल के समान होगा। यह प्रतिशतता सरेन्डर मूल्य घटक, पॉलिसी अविध तथा उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेगी, जब पॉलिसी को सरेन्डर किया गया तथा यह इस कागजात के परिशिष्ट-6 के रूप में संलम्न हैं।

तथापि, इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष सरेन्डर मूल्य का भुगतान किया जाएगा, अगर वह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल है। स्पेशल सरेन्डर मूल्य, परिपक्वता चुकता बीमा राशि (भाग द की शर्त 2 में परिभाषित अनुसार) तथा निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों के योगफल का बट्टागत मूल्य होगा। इस पॉलिसी पर लागू ये बट्टागत घटक आईआरडीएआई की पूर्व मंजूरी से समय-समय पर बदल सकते हैं।

देय सरेन्डर मूल्य के अलावा, अगर विद्यमानता हितलाभ (लाभों) को विलंबित करने के विकल्प पर अमल किया गया हो तथा देय विद्यमानता हितलाभ (लाभों) का अभी तक भुगतान न हुआ हो, तो इस बढ़े हुए विद्यमानता हितलाभ (जैसा कि उपरोक्त भाग स की शर्त 6 में विनिधिरित किए गए हैं) का भी भुगतान किया जाएगा। राइडर पर कोई सरेन्डर मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

भाग – य

नाग – र लागू नहीं

# भाग - र: अन्य नियम व शर्तें

- 1. मुफ्त लुक अविधि: मुफ्त लुक अविधि के दौरान, अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम तथा शतों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी आपत्तियों के कारण का उल्लेख करते हुए पॉलिसी को (इसकी प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर निगम को) लौटा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा तथा सरक्षित जोखिम अविधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल प्लान और राइडर, अगर चुना गया हो, के लिए) स्वास्थ्य जांच शुल्क व स्टेम्प ड्यूटी हेतु शुल्क को काटकर, जमा किए गए प्रीमियम को लौटा देगा।
- 2. कुछ घटनाओं में जब्ती: यहाँ निहित या पृष्ठांकित किसी परिस्थिति के उल्लंधित होने की स्थिति में या इस प्रस्ताव में, किसी निजी कथन, घोषणा तथा संबंधित कागजातों में कोई असत्य या गलत कथन पाये जाने पर या किसी महत्वपूर्ण जानकारी के नहीं बताये जाने की स्थिति में एवं प्रत्येक ऐसी स्थिति में पॉलिसी अमान्य हो जाएगी एवं ऐसी पॉलिसी के फलस्वरूप किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की थारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे ।

# 3. समनुदेशन तथा नामाकनः

- अ) समनुदेशनः इस प्लान के अंतर्गत समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति है। धारा 38 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।
- समनुदेशन की सूचना, पंजीकरण के लिए पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाले निगम के कार्यालय में दी जानी चाहिए.
- a) नामांकन: इस दस्तावेज के भाग स की शर्त 4 में विनिर्धारित अनुसार बीमित व्यक्ति में पॉलिसी के निहित होने के बाद वह समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है।

due premium within the days of grace, it may be revived during the life time of the Life Assured, but within a period of 2 consecutive years from the date of the first unpaid premium and before the date of maturity, on submission of proof of continued insurability of the Life Assured and/or proposer (if Premium Waiver Benefit Rider is opted for) to the satisfaction of the Corporation and the payment of all the arrears of premium together with interest (compounding half-yearly) at such rate as fixed by the Corporation from time to time. The Corporation, however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Proposer/Life Assured.

Revival of rider, if opted for, will only be considered along with the revival of the basic policy and not in isolation.

- 4. Policy Loan: Loan can be availed under this policy provided atleast three full years' premiums have been paid subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to
- The loan during the minority can be availed by the proposer provided the loan is raised for the benefit of the minor Life Assured.
- ii) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon;
- iii) Interest on Loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whichever immediately follows the date on which the Loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months;
- iv) In case of policies which are not inforce i.e. paid-up policies, in the event of default in payment of loan interest on the due date as herein mentioned above, the Corporation would be entitled to foreclose such policies which continue to be in default, anytime after expiry of notice period of 30 days. Such policies when being foreclosed shall be entitled to payment of surrender value as on date of foreclosure, if any, after deduction of outstanding loan and accrued interest. However, in case of inforce policies (where all the due premiums stand paid), foreclosure action shall not be applicable;
- v) In case the policy shall mature or become due for survival benefits or is surrendered or become a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the Loan or any portion thereof which is outstanding, together with all interest from the policy moneys.
- Surrender: The policy can be surrendered at any time during the policy term after atleast three full years' premiums have been paid.

The Guaranteed Surrender Value shall be a percentage of total premiums paid (net of tax) excluding any extra premiums and premiums for rider, if opted for, less any survival benefits already paid under the policy. This percentage will depend on the policy term and policy year in which the policy is surrendered and is enclosed as Annexure - 5 to this document.

In addition, the surrender value of vested Simple Reversionary Bonuses, if any, shall also be payable, which is equal to vested bonuses multiplied by the Surrender Value factor applicable to vested bonuses. These Surrender Value factors will depend on the policy term and policy year in which policy is surrendered and is enclosed as Annexure - 6 to this document

However, under this policy Special Surrender Value will be payable, if it is more favorable to the policyholder. The Special Surrender Value will be the discounted value of the sum of Maturity paid-up Sum Assured (as defined in condition 2 of Part D) and vested Simple Reversionary Bonuses. These discounting factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of IRDAI.

In addition to the payable Surrender Value, if the option to defer the Survival Benefit(s) has been exercised and payment of such Survival Benefit(s) which were due but have not yet been made, these increased Survival Benefit(s) (as specified in condition 6 of Part C above) shall also be paid.

No surrender value will be available on rider.

PART E

Not Applicable

# PART - F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

- 1. Free look period: During the Free Look Period, if the Policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions", of the policy, he/she may return the policy within 15 days from date of receipt of the same to the Corporation stating the reasons of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for basic plan and rider, if opted for) for the period on cover and charges for medical examination, special reports, if any, and stamp duty.
- 2. Forfeiture in Certain Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provision of Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
- 3. Assignments and Nominations:
  - a) Assignments: Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-1 of this Policy Document

नामांकन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाली निगम कार्यालय में पंजीकरण हेतु दी जानी चाहिए। नामांकन का पंजीकरण करते समय निगम उसकी वैथता या कानूनी प्रभाव के बारे में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है या अपनी कोई राय नहीं देता है।

## 4. आत्महत्याः यह पॉलिसी अवैध मानी जाएगी ।

- i) अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ), जोखिम के आरंभ होने की तिथि से 12 महीनों के अंदर आत्महत्या करता है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल अदा किए गए प्रीमियन्स के 80% को, किन्हीं टैक्स तथा अतिरक्त प्रीमियमों को छोड़कर, अगर कोई हो, का भुगतान किया जाएगा। बशर्ते पॉलिसी चालू अवस्था में हो। अगर प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम हो तो यह धारा लागू नहीं होगी।
- ii) अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानिसक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ), पुनः प्रचालन की तिथि से 12 महीनों के अंदर आत्महत्या करता है तो मृत्यु की तिथि तक अदा किए गए प्रीमियम्स के 80% (टैक्स और अतिरिक्त प्रीमियमों को छोड़कर, अगर कोई हो) या सरेन्डर मूल्य में से जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यह धारा लागू नहीं होगी:
- अ) अगर पुन: प्रचालन के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम हो।
- ब) अगर पॉलिसी चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गयी हो तो ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।
- 5. टैक्स: टैक्स संबंधी कानूनों के अनुसार टैक्स तथा सर्विस टैक्स, यदि कोई देय हो, समय-समय पर लागू दर से देय होंगे।

पॉलिसीशारक को प्रीमियम का भुगतान करने पर प्रीमियम की किस्त पर, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम्स तथा राइडर प्रीमियम भी लागू है, अगर कोई हो, टैक्स की राशि का भुगतान मौजूदा दरों से करना होगा। अदा किए गए टैक्स की राशि को, प्लान के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

6. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं: बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजों में निगम द्वारा विनिधारित दावा प्रपत्र के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु को प्रमाण, मृत्यु से पूर्व चिकित्सा उपचार, स्कूल/कॉलेज/नियोक्ता का प्रमाण पत्र, इन में से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा। अगर पॉलिसी के अंतर्गत उम्र स्वीकृत नहीं की है, तो बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक की उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

पॉलिसी के परिपक्वता दावे में परिणत होने या विद्यमानता हितलाभ दावे की स्थिति प्राप्त करने या पॉलिसी के सरेन्डर किए जाने की स्थिति में, बीमित जीवन को डिस्चार्ज फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, उम्र का प्रमाण, अगर उम्र को पहले स्वीकृत नहीं किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

- 7. वैधानिक परिवर्तन: इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियमों व देय हितलाभ तथा नियम तथा शतें संबंधित विधानों और विनियमों में परिवर्तन के विषयाधीन होंगे।
- 8. लाभों का उदाहरण: मानक जीवन अवधारणा पर आधारित आपका अनुकूल हितलाभ का उदाहरण इस कागजात के साथ संलग्न है।

# भाग – ल: साविधिक प्रावधान

# बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:

समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-III में संलग्न है।

# शिकायत समाधान प्रणाली:

प्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़िरए ग्राहक शुमचिन्तक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके ज़िरए पंजीकृत पॉलिसीधारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज कर सकते हैं तथा उसकी स्थिति पर निगरानी रख सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ईमेल आईडी co\_crmgrv@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अगर प्राप्त प्रतिसाद से ग्राहक संतुष्ट नहीं हो या उसे 15 दिनों के अंदर हमसे कोई प्रतिसाद न मिले तो ग्राहक निम्नलिखित किसी माध्यम से आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष हो सम्पर्क कर सकता है।

- टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेन्टर) पर कॉल करे
- यहां ई मेल भेजे complaints@irda.gov.in
- ऑनलाइन शिकायत http://www.igms.irda.gov.in पर दर्ज करे
- क्र्रियर/पत्र के जिरए शिकायत यहां भेजकरः उपमोक्ता मामले विभाग, भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, 9वीं मंजिल, युनायटेड इंडिया टावर्स, बशीरबाग, हैदराबाद – 500 029, आंध्र प्रदेश ।
- फैक्स नं. 040-66789768 पर शिकायत भेजे

जो दावेदार मृत्यु के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हों वे अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सदस्य के रूप में हैं। दावों से संबंधित शिकायतों से समाधान के लिए दावेदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो कि ग्राहकों को कम खर्चे के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के लिए है।

The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

b) Nominations: After the policy has vested in the Life Assured as specified in Condition 4 of Part C of this Policy Document, he/she may appoint a nominee or nominees as per Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-2 of this Policy Document.

The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or lead effect.

### 4. Suicide:

This policy shall be void

- i. If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk, the Corporation will not entertain any claim under this policy except for 80% of the premiums paid excluding any taxes and extra premium, if any, provided the policy is inforce. This clause shall not be applicable in case age at entry of the Life Assured is below 8 years.
- ii. If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the premiums paid till the date of death (excluding any taxes and extra premium, if any,) or the surrender value shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy. This clause shall not be applicable:
- a) in case the age of the Life Assured is below 8 years at the time of revival: or
- b) for a policy lapsed without acquiring paid-up value and nothing shall be payable under such policies.
- Tax: Taxes, including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder as and when the premiums are paid, on the instalment premiums including extra premiums and rider premium, if any. The amount of Tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

6. Normal requirements for a claim: The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured /proposer shall be the claim forms as prescribed by the Corporation accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to death, school / college / employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life Assured/proposer shall also be submitted.

Where the policy results into maturity claim or result into a survival benefits claim or in case of surrender of a policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

- Legislative Changes: The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.
- 8. Benefit Illustration: Your customized Benefit Illustration based on standard life assumption is enclosed to this document.

# PART - G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 Of Insurance Act, 1938:

The provision of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-3 of this policy document.

# Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co\_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance
  Call Centra)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
- Address for sending the complaint through courier / letter:

Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500 029, Andhra Pradesh.

• Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Courf District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

6

7